




# अंचल कार्यालय, रानीश्वर, दुमका

## आदेश फलक

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
24-11-20	<p>ई राजस्व न्यायालय का ऑनलाईन केस नं0 07/2016-17 श्री ईराक खान ग्राम- हकीकतपुर के अनावादी खाता सं0 89 दाग सं0 118 एवं 119 जमीन मापी हेतु आवेदन किया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। दिनांक 18.12.2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, रानीश्वर।</p>	
18-12-20	<p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अनावादी खाता सं0 89 दाग सं0 118 एवं 119 जमीन गत सर्वे खतियान में गौचर बोलकर दर्ज हैं। अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के E.E Case No 131/73-74 के द्वारा प्रतिवेदित किया है P.P Case No 20/6879 के आधार पर बन्दोवस्ती जमीन को रद्ध करने के लिए अभिलेख खोलकर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। गौचर भूमि को किसी भी परिस्थिति में बन्दोवस्ती की स्वीकृति नहीं दी जा सकती हैं। इस प्रकार यह भूमि जमाबंदी रैयत का नहीं हैं।</p> <p style="text-align: center;">अतः ऐसे स्थिति में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं।</p> <p>लेखापित।</p> <p> अंचल अधिकारी, रानीश्वर।</p>	<p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, रानीश्वर।</p>